



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 449]
No. 449]

नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, सितम्बर 25, 1986/अश्विन 3, 1908
NEW DELHI, THURSDAY, SEPT. 25, 1986/ASVINA 3, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या भी वाली हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Page is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1986

अधिसूचना

प्राय-कर

सं. 6936

सा. का. नि. 1108 (अ):—उपाय कर, जो भारत सरकार और कनाडा सरकार के बीच प्राय पर करों की बाबत दोहरे कराधान से बचने और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए है, का उक्त करार के अनुच्छेद 29 की अपेक्षानुसार अनुसमर्थन कर दिया गया है और तारीख 16-9-1986 को नई दिल्ली में अनुसमर्थन के लिखत का प्राधान-प्रदान हो गया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, प्राय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 और कंपनी (लाभ) वित्तिक अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 24क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त करार के सभी उपबंधों को भारत के संघ में प्रभावी किया जाएगा।

[सा. सं. 145/25/70-एफ. टी. डी.]

पी. यू. एराजी, संयुक्त सचिव

प्राय पर करों के सम्बन्ध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए भारत सरकार और कनाडा सरकार के बीच करार

भारत सरकार तथा कनाडा सरकार प्राय पर करों के सम्बन्ध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए करार सम्पन्न करने की इच्छा से नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई है:—

अध्याय 1

करार का क्षेत्र

अनुच्छेद 1

व्यक्तिगत क्षेत्र

करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो किसी एक प्रायवा विदाकारी राज्यों के निवासी हैं।

अनुच्छेद 2

करार के अन्तर्गत आने वाले कर

यह करार प्रत्येक संविदाकारी राज्य द्वारा प्राय पर लगाये जाने से पर लागू होगा, चाहे वे कर किसी भी तरीके से लगाने जाते

2. कुल धाय अथवा धाय के तत्वों पर लगाये गये सभी कर, जिनमें चल अथवा अचल सम्पत्ति के अन्तर्गत से होने वाले अभिलक्षणों पर कर भी शामिल है, धाय पर कर माने जायेंगे।

3. जिन वर्तमान करों पर यह करार लागू होगा, वे इस प्रकार हैं :—

(क) कनाडा के मामले में :—कनाडा के आयकर अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया आयकर (जिसे इसके बाद "कनाडा का कर" कहा गया है)।

(ख) भारत के मामले में :—

(1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन लगाया गया आयकर जिसमें उम पर लगाया कोई अधिभार शामिल है ;

(2) कम्पनी (लाभ) अधिनियम, 1964 (1964 का 7) के अधीन लगाया गया अतिकर। (जिसे इसके बाद "भारतीय कर" कहा गया है)।

4. यह करार किसी समरूप अथवा सारतः इसी तरह के करों पर भी लागू होगा जो इस करार पर हस्ताक्षर की तारीख के पश्चात्, विद्यमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर, किसी भी संबिदाकारी राज्य द्वारा लगाये जाएं।

5. प्रत्येक वर्ष के अंत में संबिदाकारी राज्य, उनके अलग-अलग कराधान कानूनों में जो भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हों और जो इस करार के विषय हों उनके सम्बन्ध में एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे और संगत अधिनियमों तथा विनियमों की प्रतियां भेजेंगे।

अध्याय II

परिभाषाएं

अनुच्छेद 3

सामान्य परिभाषा

1. इस करार में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो :—

(क) (i) भौगोलिक अर्थ में प्रयुक्त "कनाडा" शब्द का अभिप्राय कनाडा का राज्य क्षेत्र है, जिसमें कनाडा के राज्यक्षेत्रीय समुद्र का ऐसा कोई भी सहवर्ती क्षेत्र शामिल है जो कनाडा के कानूनों के अधीन ऐसा क्षेत्र हो जिसके अन्तर्गत कनाडा, समुद्र तल और अस्तमूमि तथा उनके प्राकृतिक संसाधनों के सम्बन्ध में अधिकारों का प्रयोग कर सके,

(ii) "भारत" शब्द से अभिप्रेत है भारत का राज्य क्षेत्र और उसमें शामिल है राज्य क्षेत्रीय समुद्र तथा उसके ऊपर का वायुमंडलीय क्षेत्र और राज्य क्षेत्रीय सागर तट, महादीप वामतट भूमि, अत्यन्त आश्रित क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम सं. 80) में उल्लिखित ऐसा कोई अन्य सामुद्रिक क्षेत्र जिसमें भारत के कुछ अधिकार हैं और सीमा तक इन अधिकारों का प्रयोग इस तरह से किया जा सकता है कि मानों वह सामुद्रिक क्षेत्र भारतीय राज्य क्षेत्र का एक हिस्सा है।

(ख) "एक संबिदाकारी राज्य" और "दूसरे संबिदाकारी राज्य" शब्दों से संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार, कनाडा अथवा भारत अभिप्रेत है,

(ग) 'व्यक्ति' शब्द का अर्थ वही होगा जो उसे सम्बन्धित संबिदाकारी राज्य में लागू कराधान कानून में दिया गया है; कनाडा के मामले में इसमें भागीदारी भी शामिल है,

(घ) 'कम्पनी' शब्द से कोई भी ऐसा नियमित निकाय अथवा कोई इकाई अभिप्रेत है जो कर योजनाओं के लिए कम्पनी मानी जाती

है; फ्रांसीसी में, 'सोसिएट' शब्द का अर्थ भी कानडा के कानून के अनुसार "निगम" होता है,

(ङ) "एक संबिदाकारी राज्य का उद्यम" और "दूसरे संबिदाकारी राज्य का उद्यम" पदों से क्रमशः संबिदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे संबिदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है,

(च) "सक्षम प्राधिकारी" पद से अभिप्रेत है :

(i) कनाडा के मामले में, राष्ट्रीय राजस्व मंत्री अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि,

(ii) भारत के मामले में केंद्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

(छ) "कर" शब्द से, संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार कनाडा का कर अथवा भारतीय कर अभिप्रेत है;

(ज) "राष्ट्रिक" शब्द से अभिप्रेत है :

(i) कोई व्यक्ति जिसे संबिदाकारी राज्य की राष्ट्रियता प्राप्त हो।

(ii) कोई विधिक व्यक्ति, भागीदारी अथवा संस्था जिससे अपनी यह हैसियत किसी संबिदाकारी राज्य में प्रयुक्त कानूनों से प्राप्त होती हो।

(झ) "अन्तरराष्ट्रीय यालायात" पद से अभिप्रेत है किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा परिवहन जो किसी संबिदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित हो सिवाय उस स्थिति के कि जब परिवहन का मुख्य प्रयोजन यात्री अथवा माल को दूसरे संबिदाकारी राज्य के स्थानों के बीच लाया ले जाना हो।

2. जहां तक किसी संबिदाकारी राज्य द्वारा इस करार के प्रवर्तन का सम्बन्ध है, किसी राज्य का, जो परिभाषित नहीं हुआ हो, संदर्भ में जब तक अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, सब तक वही अर्थ होगा जो उस संबिदाकारी राज्य के उन पदों से संबंधित कानूनों के अन्तर्गत होता है, जो इस करार के विषय हैं।

अनुच्छेद 4

आर्थिक अधिवास

1. इस करार के प्रयोजनों के लिए, "संबिदाकारी राज्य का निवासी" पद से अभिप्रेत है ऐसा कोई व्यक्ति जो उस राज्य के कराधान कानूनों के अनुसार उस राज्य का निवासी हो।

2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संबिदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां उसकी आवासीय हैसियत निम्नलिखित नियमों के अनुसार निर्दिष्ट की जाएगी।

(क) उसे उम संबिदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका स्थायी घर हो। यदि उसका संबिदाकारी दोनों राज्यों में स्थायी घर हो तो वह उस संबिदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक सम्बन्ध घनिष्ठतर हों (जिसका उल्लेख इसके बाद उसके "महत्वपूर्ण हितों के केंद्र" के रूप में किया जाएगा)।

(ख) यदि उस संबिदाकारी राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निश्चय नहीं किया जा सकता हो अथवा यदि उसको संबिदाकारी किसी भी राज्य में स्थायी निवास गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस संबिदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें वह आमतौर से रूठा हो;

(ग) यदि वह ग्रामतीर से दोनों ही संविदाकारी राज्यों में खुला हो अथवा इनमें से किसी भी राज्य में ग्रामतीर से नहीं खुला हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह राष्ट्रिक है;

(घ) यदि वह संविदाकारी दोनों राज्यों का राष्ट्रिक हो अथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं हो तो संविदाकारी राज्यों के मध्यम प्राधिकारी परस्पर सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे।

3. जहाँ पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के कारण से व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, जहाँ संविदाकारी राज्यों के मध्यम प्राधिकारी परस्पर समझौता करके इस प्रश्न को हल करने का प्रयत्न करेंगे।

अनुच्छेद 5

स्वायी स्थापन

1. इस करार के प्रयोजनों के लिए "स्वायी स्थापन" पद से अभिप्रेत है कारोबार का वह नियत स्थान, जहाँ उद्यम का कारोबार पूर्णतः अथवा अंशतः किया जाता है।

2. "स्वायी स्थापन" में निम्नलिखित शामिल होंगे :

- (क) प्रबन्ध का कोई स्थान;
- (ख) कोई शाखा;
- (ग) कोई कार्यालय;
- (घ) कोई कारखाना;
- (ङ) कोई फर्मशाखा;
- (च) कोई माल गोदाम,
- (छ) कोई खान, खली खान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का अन्य स्थान;
- (ज) कोई भवन स्थल अथवा निर्माण अथवा संयोजन परियोजना अथवा उससे सम्बन्धित पर्यवेक्षी कार्य, जहाँ इस तरह के निर्माण स्थान, परियोजना अथवा पर्यवेक्षी कार्य तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए चालू रहता हो;
- (झ) परिवार, जिनका प्रयोग विक्रय कार्य के लिए अथवा विक्रय आदेश प्राप्त करने के लिए किया जाता हो;

3. "स्वायी स्थापन" पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा :

- (क) किसी उद्यम के माल अथवा तिजाराती सामान के पूर्णतः सांभारण अथवा उसके प्रदर्शन के उद्देश्य से जिनहीं सुविधाओं का प्रयोग;
- (ख) केवल सांभारण अथवा प्रदर्शन के उद्देश्य से उद्यम के माल अथवा तिजाराती सामान का स्टॉक रखना;
- (ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित करने के उद्देश्य से ही उद्यम के माल अथवा तिजाराती माल का स्टॉक रखना;
- (घ) किसी उद्यम के लिए माल अथवा तिजाराती माल खरीदने अथवा सूचना एकत्र करने के; उद्देश्य माल के लिए कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना;
- (ङ) उद्यम के लिए, अलग रूप से विज्ञापन, सूचना देने, वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा इसी प्रकार के कार्यों के सम्बन्ध में जो प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के हों, कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना।

4. अन्य संविदाकारी राज्य को उद्यम के लिए अथवा उद्यम की ओर से किसी संविदाकारी राज्य में कार्य कर रहा कोई व्यक्ति जो स्वतंत्र हैसियत के किसी अभिकर्ता से भिन्न हो और जिस पर पैराग्राफ 5 लागू

होता हो प्रथमोक्त राज्य में उस उद्यम का स्वायी स्थापन माना जाएगा, यदि :

(क) उसे ग्रामतीर से उस राज्य में उस उद्यम के लिए और उस उद्यम की ओर से संबंधित सम्पन्न करने का अधिकार प्राप्त हो और वह ग्रामतीर से उस प्राधिकार का प्रयोग करता हो जब तक किसी उपकी गतिविधियाँ उस उद्यम के लिए माल अथवा सामान खरीदने तक ही सीमित नहीं; अथवा

(ख) वह प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में ग्रामतीर से उस उद्यम के माल अथवा तिजाराती माल का स्टॉक रखता हो, जिसमें से वह उस उद्यम के लिए अथवा उस की ओर से माल अथवा तिजाराती माल निर्यात का भी योग्यता हो।

5. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल इसलिए कोई स्वायी स्थापन नहीं माना जाएगा कि वह किसी कनाल, सापान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत के किसी अन्य एजेंट के माध्यम से उस अन्य राज्य में कारोबार करता है, जहाँ उपर्युक्त प्रकार के व्यक्ति इस तरह का कारोबार सम्भालता करते हों, अथवा मात्र इस आधार पर स्वायी स्थापन नहीं माना जाएगा कि वह स्वतंत्र हैसियत के किसी एजेंट के पास उस अन्य राज्य में वस्तुओं का स्टॉक रखता है जहाँ से वह एजेंट वस्तुएं भेजता है। लेकिन जब इस प्रकार की कार्य-वाहियाँ पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णतः उस उद्यम की ओर से की जाती हों तो उसे इस पैराग्राफ के अन्वय में स्वतंत्र हैसियत का एजेंट नहीं माना जाएगा।

6. इस अनुच्छेद अथवा अनुच्छेद 15 के उपबन्धों के बावजूद, ऐसे किसी व्यक्ति को, जो, एक संविदाकारी राज्य का निवासी है और जो अन्य संविदाकारी राज्य में स्थित तनुर तन और भूखंड तथा प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने और निष्कर्षण से सम्बन्धित कार्य करता है, इन कार्यों के सम्बन्ध में अन्य राज्य में स्थित स्वायी स्थापन अथवा निश्चित आधार के माध्यम से उस में राजा कारोबार चलाने वाला व्यक्ति माना जाएगा।

इस पैराग्राफ के प्रयोग के लिए, किसी अन्य उद्यम से सम्बन्धित किसी उद्यम द्वारा किए जाने वाले कार्यों को उन स्थिति में उन उद्यम द्वारा किए जाने वाले कार्य माना जाएगा जिससे वह उद्यम सम्बन्धित है।

7. पैराग्राफ 6 के उपबन्ध जहाँ लागू नहीं होंगे जहाँ उसमें बणित क्रियाकलाप, 12 महीने की अवधि में कुल 30 दिन से अधिक नहीं किए गए हों।

8. यदि कोई कम्पनी जो किसी एक संविदाकारी राज्य में स्थित हो और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थिति किसी कम्पनी को नियंत्रित करती हो अथवा उसके नियंत्रित होती हो अथवा जो उस दूसरे राज्य में कारोबार करती हो (चाहे किसी स्वायी स्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) तो मात्र इस तथ्य के लिए ही उन दोनों में से किसी को दूसरे का स्वायी स्थापन नहीं माना जाएगा।

अध्याय III

आय का करार

अनुच्छेद 6

अचल सम्पत्ति से आय

1. अचल सम्पत्ति से आय पर, जिनमें कृषि अथवा इस सम्पत्ति से होने वाली आय शामिल है, कर उस संविदाकारी राज्य में लगाया जाएगा, जिसमें इस प्रकार की सम्पत्ति स्थित है।

2. इस करार के प्रयोजन के लिए "अचल सम्पत्ति" पद, उस संविदाकारी राज्य के कानून और परिपाटी के अनुसार परिभाषित किया जाएगा

जहाँ सम्बन्धित सम्पत्ति स्थित है। इस पत्र में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे—प्रचल सम्पत्ति के उस साधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वन विज्ञान कार्य में प्रयुक्त पशुधन तथा उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर मू-सम्पत्ति सम्बन्धी सामान्य कानून के उपबन्ध लागू होते हैं, प्रचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भण्डार, स्रोत तथा अन्य प्राकृतिक साधनों के संचालन के लिए प्रयत्न कार्य करने के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय प्रथवा निरत अदायगियों के अधिकार/पोत और विमान प्रचल सम्पत्ति नहीं माने जाएंगे।

3. पैरा 1 के उपबन्ध, प्रचल सम्पत्ति के प्रयत्न उपयोग, किराये से अथवा किसी अन्य प्रकार प्राप्त आय पर लागू होंगे।

4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबन्ध किसी उद्यम की प्रचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर और व्यावसायिक सेवाओं के निष्पादन में प्रयुक्त प्रचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर लागू होंगे।

धनुच्छेद 7

कारोबार से लाभ

1. संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभ पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी स्थापन के माध्यम से कारोबार न करता हो। यदि कोई उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो प्रथवा उसने कारोबार किया हो, तो दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्यम के लाभों पर कर लगाया जा सकता है, परन्तु उनके केवल उतने भंशपर ही कर लगेगा जो :

(क) उस स्थायी स्थापन, और

(ख) उस स्थायी स्थापन के जरिये बेची गई वस्तुओं के समान प्रथवा उसी तरह की वस्तुओं अथवा तिजारती माल की बिक्री प्रथवा किये गये कारोबारसम्बन्धी कार्यों की किस्म के या उसी प्रकार के अन्य कार्यों से प्राप्त हुआ हो।

2. पैराग्राफ 4 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जहाँ किसी संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी स्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, वहाँ प्रत्येक संविदाकारी राज्य में होने वाले लाभ को उस स्थायी स्थापन का ही लाभ समझा जाएगा जो उसकी प्राप्त होने की तब प्रयत्न रहती जब वह उन्हीं या वही ही परिस्थितियों में उन्हीं या वही ही कार्यों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता और उस उद्यम को साथ पूर्णतया स्वतंत्र रूप से कारोबार करता, जितना यह एक स्थायी स्थापन है। किसी भी ऐसे भागले में, जिसमें स्थायी स्थापन के कारण हुए लाभ को सही राशि का निर्धारण न हो सके प्रथवा उसके निर्धारण के परिणामतः असाधारण कठिनाइयाँ उत्पन्न हों तो स्थायी स्थापन के कारण हुए लाभ का अनुमान किसी युक्तियुक्त आधार पर लगाया जा सकता है अर्थात् उसका परिणाम, इस धनुच्छेद में विहित सिद्धान्तों के अनुसार ही हो।

3. पैराग्राफ 4 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जहाँ तक इस बात का सम्बन्ध है कि किसी संविदाकारी राज्य में किसी उद्यम के कुल लाभ के उसके विभिन्न अंगों में प्रभाजन के आधार पर, किसी स्थायी स्थापन को होने वाले लाभ को निर्धारित करने की परिपाटी रही हो, इस धनुच्छेद के पैराग्राफ (2) में निहित कोई भी बात उस संविदाकारी राज्य को, प्रकृतित तरीके से ऐसे प्रभाजन से लाभ पर कर निर्धारित करने से नहीं रोकेगी, परन्तु अग्रणीय आने वाली प्रभाजन पद्धति ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस धनुच्छेद में उल्लिखित सिद्धान्तों के अनुसार होगा।

4. स्थायी स्थापन के लाभों के निर्धारण में उन कटौती योग्य व्ययों को स्वीकार किया जाएगा, जो स्थायी स्थापन के कारोबार के प्रयोजनों के लिए किए गए हों, और जिनमें ऐसे कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय शामिल रहेंगे, जो उस राज्य के कराधान-कानूनों के

उपबन्धों के अनुसार हों और कानूनों की परिधि के अन्तर्गत आते हों फिर चाहे वे उस राज्य में किए गए हों जिसमें स्थायी स्थापन स्थित है प्रथवा अन्यथा किये गये हों।

5. कोई लाभ केवल इस कारण स्थायी स्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी स्थापन द्वारा उद्यम के लिए माल या पण्य वस्तुएं खरीदी गई हैं।

6. पूर्ववर्ती पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए, स्थायी स्थापन को होने वाले लाभों का निर्धारण, वर्षानुवर्ष तब तक उसी पद्धति से किया जाएगा जब तक कि इसके विपरीत कोई ठोस और पर्याप्त कारण न हों।

7. जहाँ लाभों में भाग की वे सब शामिल हों, जिनका इस करार के अन्य धनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहाँ उन धनुच्छेदों के उपबन्ध इस धनुच्छेद के उपबन्धों से प्रभावित नहीं होंगे।

धनुच्छेद 8

विमान परिवहन

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में विमान परिवहन से प्राप्त लाभों पर कर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही लगेगा।

2. पैराग्राफ 1 इसी तरह किसी पूल, संयुक्त कारोबार प्रथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय संचालन एजेंसी में भाग लेने के सम्बन्ध में लागू होगा।

3. पैराग्राफ 1 के प्रयोजनों के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में वायुयान संचालन से सम्बन्धित निधियों पर ब्याज को, ऐसे वायुयान संचालन से होने वाले लाभ माना जाएगा और धनुच्छेद 12 के उपबन्ध इस प्रकार के ब्याज के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे।

धनुच्छेद 9

जहाजरानी

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में पोतों के संचालन से होने वाले लाभों पर कर, केवल उस राज्य में ही लगेगा।

2. किसी संविदाकारी राज्य में स्थित स्थानों के मध्य यात्रियों प्रथवा वस्तुओं के परिवहन के लिए प्रयुक्त पोतों के संचालन से होने वाले लाभों पर उस सीमा तक उस राज्य में कर लगेगा जिस सीमा तक वे पैराग्राफ 1 के अन्तर्गत नहीं आते।

3. पैराग्राफ 1 और 2 भी उसी प्रकार किसी पूल, संयुक्त कारोबार प्रथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय संचालन एजेंसी में भागीदारी के सम्बन्ध में लागू होंगे।

4. इस धनुच्छेद के उपबन्ध, किसी ऐसे ड्रिलिंग रिय प्रथवा पोत पर पर लागू नहीं होंगे जिसका मुख्य कार्य, वस्तुओं प्रथवा यात्रियों के परिवहन से भिन्न क्रियाकलापों का निष्पादन हो।

धनुच्छेद 10

सम्बन्ध उद्यम

जहाँ

(क) एक संविदाकारी राज्य का उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबन्ध, नियंत्रण प्रथवा पूंजी में, प्रत्यक्षतः प्रथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है; प्रथवा

(ख) में ही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबन्ध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः, अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं।

और दोनों में से किसी भी व्यवस्था में, दोनों उद्यमों के बीच उनके गणितीय अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगायी जाती जो किसी शर्तों से भिन्न हैं, ऐसी स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, हाँ ऐसा कोई लाभ जो उन शर्तों के न होने की हालत में उन उद्यमों से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, परन्तु, उन शर्तों के कारण प्राप्त नहीं हुआ तो वह लाभ उस उद्यम के लाभों में सम्मिलित किया जा सकेगा और वे तबनुसार करधेय हो सकेंगे।

अनुच्छेद 11

लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य को निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किये गये लाभांश पर कर, उस दूसरे राज्य में लग सकता है।

2. तथापि, इस प्रकार के लाभांश पर उस संविदाकारी राज्य में भी कर लग सकता है, जिस राज्य को लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है और वह कर, उस राज्य के कानून के अनुसार लगेगा, लेकिन इस प्रकार लगाया जाने वाला कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा :—

(क) यदि लाभांश, कोई ऐसी कम्पनी प्राप्त करती है जिसके लाभांश की अदायगी करने वाली कम्पनी में कम से कम 10 प्रतिशत शेयर हैं तो लाभांशों की सकल राशि का 15 प्रतिशत, और

(ख) अन्य सभी मामलों में लाभांशों की सकल राशि का 25 प्रतिशत।

3. इस करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख के बाद किए गए निधेय होने वाले लाभांशों के मामले में पैराग्राफ 2(क) के उपबंध लागू होंगे।

4. कम्पनी के उन लाभों के मामले में, जिनमें से लाभांशों की अदायगी की जाती है कम्पनी के कराधान पर पैरा ग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

5. जैसा कि इस अनुच्छेद में प्रयुक्त है लाभांश शब्द का अर्थ है शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से हुई आय जो ऋण आवेश नहीं हों लाभ में सम्मिलित हो तथा उस राज्य के कराधान कानून द्वारा शेयरों से हुई आय में सम्मिलित आय जिस राज्य की वितरण करने वाली कंपनी निवासी है।

6. पैराग्राफ 1 और 2 के अनुबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे जब लाभांश प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण ऐसे अन्य संविदाकारी राज्य में जिसकी लाभांश की अदायगी करने वाली कंपनी निवासी हो उस राज्य में स्थिति किन्तु स्थाई स्थापन द्वारा कोई कारोबार करता हो अथवा उसमें स्थित किसी निश्चित आधार से उस अन्य राज्य में व्यावसायिक सेवाएं करता हो और वह निर्बंधक कंपनी, जिसके कारण लाभांश की अदायगी की जाती है ऐसे स्थाई स्थापन अथवा निश्चित आधार के साथ प्रभावी रूप से संबद्ध हो। इस तरह के मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के मामले में उपबंध जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे।

7. जहाँ कोई ऐसी कंपनी जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी हो दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती हो। वहाँ वह दूसरा राज्य कंपनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाएगा जहाँ तक कि उस दूसरे राज्य के निवासी को इन प्रकार के लाभांश अदा नहीं किए जाते अथवा जहाँ तक कि नियंत्रक कंपनी जिसके संबंध में लाभांश अदा किए जाते हैं उस अन्य राज्य में स्थित एक स्थाई स्थापन अथवा एक निश्चित आधार से प्रभावी रूप से संबद्ध नहीं है अथवा कंपनी के अतिरिक्त लाभों पर अतिरिक्त लाभों संबंधी कर नहीं लगाया जाएगा चाहे अदा किए गए लाभांशों अथवा अतिरिक्त लाभ पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उत्पन्न होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में हो हों।

अनुच्छेद 12

व्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी की अदा किए जाने वाले व्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. इस प्रकार के व्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा जिसमें यह अंजित होता है किन्तु यदि प्राप्तकर्ता व्याज का लाभकारी स्वामी है तो इस प्रकार लगाये गए कर की रकम व्याज की सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के बावजूद भी, एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाला तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किया गया व्याज प्रयोजित राज्य में कर से मुक्त होगा यदि:

(क) व्याज क अदायगी उस संविदाकारी राज्य की सरकार अथवा किसी राजनीतिक उप-मंडल अथवा उसके स्थानीय प्राधिकरण द्वारा की जाती हो, अथवा

(ख) व्याज की अदायगी ऐसी किसी एजेंसी को अथवा माध्यम को (जिसमें वित्तीय संस्था शामिल है) की जाती हो जिस पर दो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच पत्रों के आदान-प्रदान में सहमति हुई हो।

4. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त 'व्याज' शब्द से अभिप्रेत है हर प्रकार के ऋण ढाँचों से प्राप्त आय, चाहे वे बन्धक द्वारा प्रतिभूत हों अथवा नहीं, और चाहे ऋणदाता के लाभों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं, तथा खासतौर पर सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय, बंध-पत्रों अथवा ऋण-पत्रों से प्राप्त आय जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बन्ध-पत्रों या ऋण-पत्रों से सम्बद्ध प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हैं, तथा वह आय जो उस राज्य के कराधान कानून के अनुसार उधार किये गये धन से प्राप्त आय में समाविष्ट की गई हो जिस राज्य में वह आय उत्पन्न होती हो। तथापि, व्याज शब्द में वह आय शामिल नहीं है जिसका अनुच्छेद 11 में विवेचन किया गया है।

5. पैराग्राफ 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि व्याज प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने से दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें व्याज उत्पन्न हुआ हो, उसमें स्थित स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यापार चलाता है, अथवा उस दूसरे राज्य में जिसमें स्थित निश्चित स्थान से व्यावसायिक सेवाएं करता है और जिस ऋण-दाते के बारे में व्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार से स्थायी स्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित हो। इस प्रकार के मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

6. किसी संविदाकारी राज्य में व्याज उत्पन्न हुआ माना जाएगा, यदि व्याज अदा करने वाला स्वयं संविदाकारी राज्य, कोई राजनीतिक उप-मंडल, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। किन्तु, जहाँ व्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, संविदाकारी राज्य में एक स्थायी प्रतिष्ठान अथवा निश्चित स्थान है, जिसके सम्बन्ध में वह ऋण लिया गया था जिस पर व्याज की अदायगी की जाती है और इस प्रकार का व्याज उस स्थायी प्रतिष्ठान अथवा निश्चित स्थान द्वारा अदा किया जाता है, तब वह व्याज उस संविदाकारी राज्य में उत्पन्न माना जाएगा जिसमें वह स्थायी प्रतिष्ठान अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहाँ व्याज अदा करने वाले तथा प्राप्तकर्ता के बीच अथवा उन दोनों के और किसी अन्य व्यक्ति के बीच, विशेष प्रकार का सम्बन्ध होने के कारण, अदा की गई व्याज की रकम, उस ऋण ढाँचे की व्याज में रखते हुए जिसके लिए व्याज की रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके लिए इस प्रकार के सम्बन्ध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और प्राप्तकर्ता के बीच सहमति हो गयी होती, वहाँ इस

अनुच्छेद के उपबन्ध केवल अन्तिम बणित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगी के अतिरिक्त भाग पर, इस करार के अन्य उपबन्धों का सम्यक अनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 13

तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टियां और फीस

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को तकनीकी सेवाओं के लिए भ्रदा की गई रायल्टियों और फीस पर दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. तथापि, तकनीकी सेवाओं के लिए ऐसी रायल्टियों और फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा, जिसमें वे उद्भूत होती हैं, बशर्ते कि जहाँ तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टियों और फीस की अदायगी किसी ऐसे अधिकार अथवा सम्पत्ति के सम्बन्ध में की जाती है जो पहले मंजूर की जाती है अथवा उन संविदा के अन्तर्गत की जाती है जिस पर इस करार के हस्ताक्षर की तारीख के बाद हस्ताक्षर किये जाते हैं, वहाँ इस प्रकार लगाया गया कर तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टियों अथवा फीस की सकल रकम के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त 'रायल्टियां' शब्द का अर्थप्रामाण्य ऐसी किसी भी अदायगी से है जिसमें निम्नलिखित के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी प्रकार का किराया शामिल है:

- (क) कोई पेटेण्ट, ट्रेडमार्क, डिजाइन अथवा माडल, प्लान, गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया;
- (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपस्कर, अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से सम्बन्धित सूचना;
- (ग) साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृति, बलाचित्र फिल्में, और फिल्में अथवा रेडियो अथवा दूरदर्शन प्रसारण के लिए फिल्में अथवा टेप,

किन्तु इसमें शामिल अथवा छुटकारों के संघालन अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कासन अथवा निकालकर हटा लेने के सम्बन्ध में भ्रदा की गई रायल्टियां अथवा अन्य रकमें शामिल नहीं हैं।

4. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "तकनीकी सेवाओं की फीस" पद से प्रबन्धनीय, तकनीकी अथवा परानवीदात्री स्वरूप की ऐसी सेवाओं के प्रतिफल में जिनमें तकनीकी अथवा अन्य कामियों की सेवाओं की व्यवस्था शामिल है, अदायगियां करने वाले व्यक्ति के कर्मचारी को अदायगियां करने तथा अनुच्छेद 15 में बणित स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के लिए किसी व्यक्ति को की गई अदायगियों से भिन्न किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की अदायगियां अर्पित हैं।

5. पैराग्राफ 2 के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि तकनीकी सेवाओं की रायल्टियां तथा फीस प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने से उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कारोबार करता है जिसमें स्थिति स्थायी स्थापन के माध्यम से तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टियां अथवा फीस उत्पन्न होती है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित एक निश्चित स्थान से व्यावसायिक सेवाएं करता है और जिससे अधिकार अथवा सम्पत्ति जिसके सम्बन्ध में तकनीकी सेवाओं की रायल्टियां अथवा फीस भ्रदा की जाती है, ऐसे स्थायी स्थापन अथवा निश्चित आधार के के साथ कारोबार रूप से सम्बन्ध है। ऐसे मामलों में अनुच्छेद 7 अथवा 15 के उपबन्ध, यथावत् लागू होंगे।

6. किसी संविदाकारी राज्य में तकनीकी सेवाओं की रायल्टियां और फीस उद्भूत हुई मानी जाएगी, यदि तकनीकी सेवाओं की रायल्टियां और फीस भ्रदा करने वाला स्वयं राज्य कोई राजनीतिक उप-मण्डल कोई

स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। परन्तु जहाँ तकनीकी सेवा सेवाओं की रायल्टियां और फीस भ्रदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, एक संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी स्थापन अथवा निश्चित आधार हो जिसके सम्बन्ध में तकनीकी सेवाओं की रायल्टियां और फीस भ्रदा की गई और वे तकनीकी सेवाओं की रायल्टियां अथवा फीस उस स्थायी स्थापन द्वारा अथवा निश्चित आधार पर उद्भूत हुई हों, तब ऐसी तकनीकी सेवाओं की रायल्टियां तथा फीस उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें स्थायी स्थापन अथवा निश्चित आधार स्थित है।

7. जहाँ, रायल्टियां अथवा फीस भ्रदा करने वाले और लाभकारी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और अन्य व्यक्ति के बीच, विशेष प्रकार का सम्बन्ध होने के कारण, भ्रदा की गई तकनीकी सेवाओं की रायल्टियों अथवा फीस की रकम, उसके ऐसे इस्तेमाल, अधिकार अथवा सूचना को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए वह भ्रदा की जाती है उस रकम से बढ़ जाती है जिसके लिए इस प्रकार के सम्बन्ध नहीं होने की स्थिति में भ्रदा करने वाले और प्राप्तकर्ता के बीच सहमति हो गयी होती वहाँ इस अनुच्छेद के उपबन्ध केवल अन्तिम बणित रकम पर लागू होंगे। उस मामले में, अदायगियों के अधिभाग पर, इस करार के अन्य उपबन्धों का अनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद-14

पूँजीगत लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में बलाये जाने वाले जलयानों और वायुयानों तथा ऐसे जलयानों और वायुयानों के संचालन से सम्बन्धित चल सम्पत्ति के अन्तर्गत से प्राप्त होने वाले लाभों पर कर केवल उस राज्य में ही लगेगा।

2. पैराग्राफ 1 में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न किसी सम्पत्ति के अन्तर्गत से प्राप्त लाभों पर कर दोनों संविदाकारी राज्यों में लगाया जा सकता है।

अनुच्छेद-15

व्यावसायिक सेवाएं

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को व्यावसायिक सेवाओं अथवा इसी प्रकार के अन्य स्वतंत्र कार्यों के सम्बन्ध में प्राप्त आय उस राज्य में ही करायेय होगी तथापि, निम्नलिखित परिस्थितियों में ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा; अर्थात्:—

- (क) यदि अपने कार्य करने के प्रयोजन के लिए उसका उस दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध हो या रहा हो तो उस मामले में केवल उतनी आय पर कर लगाया जा सकेगा जो निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती हो, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा; अथवा
- (ख) यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में संगत वित्तीय वर्ष में मीजुब रहने की अवधि अथवा अवधियां कुल मिलाकर 183 दिन अथवा उससे अधिक रही हों, अथवा
- (ग) यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसकी सेवाओं के लिए परिश्रमिक, या तो उस संविदाकारी राज्य के निवासियों से प्राप्त हुआ हो या फिर किसी ऐसे स्थायी स्थापन द्वारा बहुत किया जाता हो जो उस राज्य में किसी ऐसे व्यक्ति का हो जो उस संविदाकारी राज्य का निवासी नहीं हो और ऐसा परिश्रमिक दो हजार पांच सौ केनेडियन डॉलरों (2,500 डॉलर) से अधिक हो अथवा बित्त वर्ष में भारतीय मुद्रा में उसके बराबर हो।

2. "व्यावसायिक शिक्षा" शब्दों में स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षणिक अथवा प्रशिक्षण संबंधी कार्यकलाप और चिकित्सकों, बकीलों, इंजीनियरों, वास्तुकारों, दण्ड चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप शामिल हैं।

अनुच्छेद 16

पराश्रित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 17, 19, तथा 20 के उपबन्धों के अधीन एक संविदाकारी राज्य में किसी निवासी को नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतन, मजदूरी तथा अन्य इसी प्रकार के पारिश्रमिक पर कर केवल उसी राज्य में लगेगा जब तक कि उसका नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में न हो। यदि इस प्रकार नियोजन किया जाता है तो उसके उद्भूत ऐसे पारिश्रमिक पर कर उस दूसरे राज्य में लगाया जाएगा।

2. अनुच्छेद 1 के उपबन्धों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा, दूसरे संविदाकारी राज्य में किये गये नियोजन से उद्भूत पारिश्रमिक पर कर प्रथमोल्लिखित राज्य में केवल उस स्थिति में लगाया जायेगा यदि :

- (क) प्राप्तकर्ता संगत वित्तीय वर्ष में किसी उस अवधि अथवा उन अवधियों के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में मौजूब रहा हो जो कुछ मिलाकर 183 दिन से अधिक नहीं हो।
- (ख) पारिश्रमिक की प्रदायगी ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसके और से की गयी हो, जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है; और
- (ग) पारिश्रमिक व्यय का वहन किसी ऐसे स्थायी स्थापन अथवा किसी ऐसे निश्चित आधार द्वारा नहीं किया जाता है जो नियोजक का उस दूसरे राज्य में हो।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबन्धों के होते हुए भी, किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में जलपोत पर अथवा वायुयान पर किये गये नियोजन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक पर कर केवल उस राज्य में ही लगेगा।

अनुच्छेद 17

निवेशक मूलक

संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा किसी ऐसी कम्पनी के निदेशक मण्डल अथवा किसी कम्पनी के इसी प्रकार के भंग के एक सदस्य की हैसियत से जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी हो, प्राप्त निवेशक की फीस तथा इसी प्रकार की अदायगियों पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा।

अनुच्छेद 18

कलाकार तथा खिलाड़ी

अनुच्छेद 7, 15 तथा 16 के उपबन्धों के बावजूब, लोक मनोरंजन-कलाओं जैसे थियेटर, चलचित्र, रेडियो अथवा दूरदर्शन कलाकार तथा संगीतकार और खिलाड़ियों द्वारा अपने वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा जिसमें ऐसे कार्यकलाप किये गये हों।

2. जहां किसी मनोरंजन अथवा खिलाड़ी द्वारा किसी संविदाकारी राज्य में, अपनी हैसियत से किये गये वैयक्तिक कार्यों से उद्भूत आय उस मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी को प्रोद्भूत नहीं होकर किसी अन्य व्यक्ति को होती है जो उस राज्य में उन कार्यकलापों की व्यवस्था करता है, ऐसे मामलों में उस आय पर अनुच्छेद 7, 15 और 16 के उपबन्धों के होते हुए भी उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाये।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबन्ध लागू नहीं होंगे, यदि मनोरंजनकर्ता अथवा उक्त खिलाड़ी की, संविदाकारी राज्य की यात्रा का व्यय, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः दूसरे संविदाकारी राज्य की, जिसमें दूसरे राज्य का राजनीतिक उपमंडल अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा मांविधिक निकाय योंधि भी शामिल है, सरकारी नि से पूर्णतः प्रयत्न पर्याप्ततः किया गया

अनुच्छेद 19

पेन्शन

1. किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाली पेन्शन पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा।

2. किसी संविदाकारी राज्य में पेन्शन जब उत्पन्न हुई मानी जाएगी, जब उसकी प्रदायगी करने वाला स्वयं वह राज्य, कोई राजनीतिक उपमंडल, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो।

अनुच्छेद 20

सरकारी सेवा

1. एक संविदाकारी राज्य अथवा राजनीतिक उपमंडल अथवा उसके स्थानीय प्राधिकरण हाग किसी व्यक्ति को उस राज्य अथवा उपमंडल अथवा उसके स्थानीय प्राधिकरण के लिए किये गये सरकारी कार्यों के सम्बन्ध में, अथवा किये गये अथवा उक्त संस्थाओं के द्वारा निमित्त निधियों में से पेन्शन से भिन्न पारिश्रमिक पर कर उसी राज्य में लग सकेगा।

2. अनुच्छेद 16 और 17 के उपबन्ध संविदाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य अथवा राजनीतिक उपमंडल अथवा उसके स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कलाये गये व्यापार अथवा कारोबार के सम्बन्ध में की गई सेवाओं के लिए प्राप्त पारिश्रमिक पर लागू होंगे।

अनुच्छेद 21

विद्यार्थी और प्रशिक्षार्थी

1. कोई विद्यार्थी, प्रशिक्षार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षणार्थी, जो किसी एक संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तुरन्त पहले उस संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो मातृ अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए, प्रथमोल्लिखित राज्य में उपस्थित है, अपने धरण-भोजन, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के निमित्त प्रदायगियां प्राप्त करता है, उन पर उस प्रथमोल्लिखित राज्य में कर नहीं लगेगा बशर्तें ऐसी प्रदायगियां उस राज्य से बाहर के स्रोतों से की गयी हों।

2. ऐसे विद्यार्थियों, प्रशिक्षार्थियों और व्यावसायिक प्रशिक्षणार्थियों पर, जो एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिक हों, दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसी कोई कराधान व्यवस्था अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई प्रपेक्षा लागू नहीं की जाएगी, जो उस कराधान से और उन संबंधित प्रपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हों, जो उन विद्यार्थियों, प्रशिक्षार्थियों अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षार्थियों पर जो उग दूसरे राज्य के राष्ट्रिक हैं, वैसे ही परिस्थितियों में लागू होती हैं अथवा हो सकती हैं।

अनुच्छेद 22

अन्य आय

एक संविदाकारी राज्य के निवासी की आय की ऐसी मदें, जो दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्भूत होती हैं, और जिनका इस करार के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में विवेचन नहीं किया गया है, उन पर दोनों संविदाकारी राज्यों में कर लगाया जा सकेगा।

अध्याय IV

दोहरे कराधान के निवारण के तरीके

अनुच्छेद 23

दोहरे कराधान का परिहार

1. दोनों में से किसी भी एक संविदाकारी राज्य में, लागू कानून अलग-अलग संविदाकारी राज्यों में, आय के कराधान के मामले में लागू होंगे, जब तक कि इस करार के उनके प्रतिकूल कोई उद्बन्ध नहीं हों।

2. कनाडा के मामले में, दोहरे कराधान का निम्नलिखित रूप में परिहार किया जाएगा :—

(क) कनाडा से बाहर किसी राज्य क्षेत्र में अथवा किये गये कर की कनाडा में देय कर से बटीती के बारे में कनाडा के कानून

के वर्तमान उपबन्धों और उन उपबन्धों में किये गये किसी भी परिवर्ती संशोधन के अध्याधीन—जो इसके सामान्य सिद्धांतों को प्रभावित नहीं करेंगे—और जब तक कि कनाडा के कानूनों के अन्तर्गत अपेक्षाकृत बड़ी कटौती अथवा राहत प्रदान नहीं की जाती है, भारत में उद्भूत होने वाले लाभों, आय अथवा अभिलाषों पर भारत में देय कर की कटौती, ऐसे लाभों, आय अथवा अभिलाषों के सम्बन्ध में देय कनाडा के किसी कर से की जाएगी;

- (क) विदेश से सम्बद्ध किसी कम्पनी के छूट प्राप्त अधिशेष के निर्धारण के सम्बन्ध में, कनाडा के कानून के वर्तमान उपबन्धों और उन उपबन्धों में बाध में किये गये संशोधनों के अध्याधीन— जो इसके सामान्य सिद्धांत को प्रभावित नहीं करेंगे। कनाडा के कर की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, कनाडा में निवासी किसी कम्पनी को, उसकी कर लगने योग्य आय की संगणना करने में, भारत में निवासी विदेश से सम्बद्ध किसी कम्पनी के छूट प्राप्त अधिशेष में से उसके द्वारा प्राप्त किये गये किसी लाभों की कटौती करने की मंजूरी दी जाएगी।

3. भारत के मामले में दोहरे कराधान का परिहार निम्नलिखित रूप से किया जाएगा :—

- (क) कनाडा के कानूनों के तहत और इस करार के उपबन्धों के अनुसार, प्रत्यक्षतः अथवा कटौती द्वारा, कनाडा के भीतर के स्रोतों से प्राप्त आय के बारे में जिस पर भारत में तथा कनाडा दोनों ही देशों में कर लगाया गया हो, भारत के किसी निवासी द्वारा देय कनाडा के कर की रकम को उस आय के सम्बन्ध में देय भारतीय कर के प्रति जमा के रूप में स्वीकृति दी जाएगी, किन्तु वह रकम भारतीय कर के उस अनुपात से अधिक नहीं हो जो इस प्रकार की आय का भारतीय कर लगने योग्य सम्पूर्ण आय से बैठना हो;
- (ख) ऊपर उप पैराग्राफ (क) में उल्लिखित जमा के प्रयोजनों के लिए, जहाँ पर भारत का निवासी एक ऐसी कम्पनी हो जिसके द्वारा प्रतिकर देय हो, वहाँ पर भारतीय कर के प्रति मंजूर की जाने वाली जमा की स्वीकृति, प्रथमतः भारत में कम्पनी द्वारा देय आयकर के संबंध में दी जाएगी और शेष रकम के संबंध में, यदि कोई हो, उसके द्वारा भारत में देय प्रतिकर के संबंध में दी जाएगी।

बताते कि ऐसी आय को, जिस पर इस करार के अनुसार कर नहीं लगाया जाना हो, लगाये जाने वाले कर की दर की गणना करते समय हिसाब में लिया जाए।

4. पैराग्राफ 2(क) के प्रयोजनों के लिए "भारत में देय कर" शब्दों में, किसी व्यक्ति से भिन्न कनाडा के किसी निवासी के सम्बन्ध में, ऐसी कोई भी रकम शामिल मानो जाएगी, जो भारतीय कर के रूप में देय होती यदि निम्नलिखित के अन्तर्गत उस वर्ष के लिए स्वीकृत कर योग्य आय अथवा कोई छूट अथवा कटौती की संगणना में घटौती की रकम शामिल नहीं हुई होती :—

(क) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) को धारा 10(15)(iv), 31क, 80अ और 80ज, जहाँ तक कि वे इस करार पर हस्ताक्षर होने को लागू थीं और उस तारीख से पूर्वमें कोई संशोधन नहीं हुआ हो अथवा केवल ऐसा मामूली संशोधन हुआ हो जिससे उनके सामान्य स्वरूप या कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो; अथवा

(ख) कोई भी अन्य उपबन्ध जो कर की ऐसी छूट अथवा घटौती मंजूर करने के लिए बाध में किये जाय, जिसके बारे में संविदाकारी राज्यों के सत्र प्राधिकारियों को यह सहमति हो कि उसके स्वरूप में उस हालत में काफी समानता है, यदि उसमें बाध में

संशोधन नहीं किया गया हो अथवा केवल ऐसा मामूली संशोधन किया गया हो जिससे उसके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो।

परन्तु कनाडा के कर से राहत, किसी स्रोत से प्राप्त आय के सम्बन्ध में इस पैराग्राफ की वजह से उस स्थिति में नहीं दी जाएगी, यदि आय का सम्बन्ध उस अवधि से हो जो, उस स्रोत के बारे में कनाडा के निवासी को, भारतीय कर से पहली बार दी गई छूट अथवा कटौती के बाद 10 वित्तीय वर्षों से अधिक समय के बाद शुरू होती हो।

5. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए एक संविदाकारी राज्य के निवासी के लाभों, आय अथवा अभिलाषों को, जिन पर इस करार के अनुसार दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाता है, उस दूसरे राज्य के स्रोतों से उत्पन्न हुआ समझा जायगा।

अध्याय V

विशेष उपबन्ध

अनुच्छेद 24

सम-अध्याय

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रियों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसी कोई कराधान व्यवस्था अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जायगी, जो इस कराधान और उन संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रियों पर ऐसी ही परिस्थितियों में लागू होती है अथवा हो सकती है।

2. किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थायी स्थापन पर, छत दूसरे राज्य में ऐसी कराधान लागू किया जायेगा जो उस दूसरे राज्य के जैसे ही कार्य में प्रयुक्त उद्यमों पर लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल नहीं हो।

3. इस अनुच्छेद को किसी भी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जायगा कि अगर एक संविदाकारी राज्य अपने निवासियों को उनके नागरिक वर्ग अथवा पारस्परिक उत्तरदायित्वों के सम्बन्ध में कराधान के प्रयोजन से कोई व्यक्तिगत छूट या राहत प्रदान करता है अथवा कटौती करता है तो वह दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवासियों को भी इन्हें देने को बाध्य होगा।

4. इस अनुच्छेद में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा जिससे :—

(क) कनाडा को, कनाडा में स्थित किसी स्थायी स्थापन पर निर्भर किसी कम्पनी की आमदनियों पर, कनाडा के नियमों से भिन्न, नियमों पर उसका प्रतिरिक्त कर लगाने से रोका जाय;

(ख) भारत को, किसी ऐसी कम्पनी द्वारा, जो कनाडा की निवासी है, भारत में क्लॉय जा रहे किसी स्थायी संस्थापन के कारण हुई आय पर, भारतीय कानून द्वारा निर्धारित दर पर कर लगाने से रोका जाय।

5. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूंजी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व अथवा नियंत्रण में है, प्रयोजित संविदाकारी राज्य में कोई ऐसा कराधान अथवा तत्संबंधी कोई ऐसी अपेक्षा लागू नहीं की जायगी, जो इस कराधान और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस प्रयोजित राज्य के अर्थ जैसे ही उद्यमों पर, जिनकी पूंजी पूर्णतः अथवा अंशतः तीसरे राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व अथवा नियंत्रण में है, लागू होती है अथवा हो सकती है।

6. इस अनुच्छेद में "कराधान" पद का अर्थ वे कर हैं जो इस करार का विषय हैं।

धनुच्छेद 25

पारस्परिक करार कार्यविधि

1. जहाँ किसी संविदाकारी राज्य मानिवासी यह समझता है कि एक राज्य दोनो संविदाकारी राज्यों के कार्यों के कारण उस पर जो कर लगाया जाता है अथवा लगाया जायगा वह इस करार के उपबन्धों के अनुरूप नहीं है, तो वह इन राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों द्वारा उपबन्धित उपचारों के श्रोते हुए भी, अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकता है, जिसका कि वह निवासी है। जिस कार्यवाही के कारण ऐसा कराधान होता हो जो करार के अनुरूप नहीं हो उस कार्यवाही की पहली अधिमूचना से दो वर्षों के भीतर इस तरह के मामले को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

2. यदि पैराग्राफ 1 में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी उपयुक्त हल पर पहुँचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के परिहार की दृष्टि से, जो उस करार के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी की परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा।

3. एक संविदाकारी राज्य, उसके राष्ट्रीय कानूनों में दी गई समय-सीमाओं की समाप्ति के बाद और किसी भी स्थिति में, जिस वित्तीय वर्ष में संबंधित धाय उद्भूत हुई हो उसके घन्त से 5 वर्षों के बाद उसमें धाय की ऐसी मदे शामिल करके, जिन पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया गया है, संविदाकारी राज्यों में से किसी राज्य के किसी निवासी के कर-भाषार में वृद्धि नहीं करेगा। यह पैराग्राफ, धोखेबाजी, जानबूझ कर की गई भ्रूक अथवा भ्रष्टेयता के मामले में लागू नहीं होगा।

4. इस करार की व्यवस्था करने अथवा इसे लागू करने में, यदि कोई कठिनताया अथवा गंकाएं उत्पन्न हों, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे।

5. जिन मामलों के बारे में इस करार में व्यवस्था नहीं की गई है उनके संबंध में संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी दोहरे कराधान के परिहार के लिए आपन में परामर्श कर सकते हैं।

धनुच्छेद 26

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का आदान-प्रदान करेंगे जो इस करार को अथवा संविदाकारी राज्यों के इस करार के अन्तर्गत आने वाले करों से सम्बन्धित राष्ट्रीय कानूनों को (जिनमें उनके, राजस्व अपवर्चन के निवारण से सम्बन्धित उपबन्ध भी शामिल हैं) कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों, जहाँ तक कि उनके अधीन विद्यमान काराधान व्यवस्था इस करार के प्रतिकूल नहीं हो। सूचना का आदान-प्रदान धनुच्छेद द्वारा प्रनिबंधित नहीं है। किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जायगी जिस प्रकार उस राज्य के राष्ट्रीय कानूनों के अन्तर्गत प्राप्त की गई सूचना मानी जाती है और उसे ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों को (जिनमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) प्रकट किया जायगा, जो उन करों के निर्धारण अथवा बसूली, उनके सम्बन्ध में प्रवर्तन अथवा उनसे सम्बन्धित अपीलों के निर्धारण से सम्बन्ध हों, जो इस करार के विषय है। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजनों के लिए करेंगे। वे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी इस सूचना को सार्वजनिक तौर पर न्यायालय कार्यवाही अथवा स्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे।

2. किसी भी स्थिति में, पैराग्राफ 1 के उपबन्धों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व हालचा नहीं होगा :—

(क) एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियाँ और प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना;

(ख) ऐसी सूचना देना जो एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों के अन्तर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्त नहीं हो;

(ग) ऐसी सूचना देना, जिससे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा रोजगार सम्बन्धी गुप्त भेद अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसकी प्रकट करना सरकार की नीति (सरकारी आदेश) के प्रतिकूल हो।

धनुच्छेद 27

राजनयिक तथा कौंसली अधिकारी

इस करार से, राजनयिक अथवा कौंसली शिफ्टमेंटलों के सदस्यों को अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों के अन्तर्गत अथवा विशेष करारों के उपबन्धों के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

धनुच्छेद 28

विविध नियम

1. इस करार के उपबन्धों का अर्थ, संविदाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य के कानून द्वारा उक्त संविदाकारी राज्य द्वारा लगाये गये कर के निर्धारण में अथ अथवा इनके बाद किसी भी तरीके से कोई अपवर्जन, छूट, कटीती, जमा सुविधा, अथवा अन्य छूट पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये नहीं लगाया जायगा।

2. इस करार को लागू करने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे राज्य से सीधे ही सम्पर्क कायम कर सकते हैं।

प्रध्याय

उपसंहार

धनुच्छेद 29

प्रवर्तन

1. इस करार की सम्पुष्टि की जाएगी तथा सम्पुष्टि दस्तावेजों का आदान-प्रदान ओटावा में किया जाएगा।

2. यह करार, सम्पुष्टि दस्तावेजों के आदान-प्रदान हो जाने पर लागू होगा और इस के उपबन्ध :—

(क) कनाडा में :

(1) जिस कैलेण्डर वर्ष में सम्पुष्टि-दस्तावेजों का आदान-प्रदान हुआ हो उसके अगले परवर्ती कैलेण्डर वर्ष में जनवरी के पहले दिन को अथवा उसके बाद अनिवासियों को अथवा की गई अथवा उनके हिमाब में जमा विन्हाई गई रकमों पर स्रोत पर रोके गये कर के सम्बन्ध में; और

(2) जिस कैलेण्डर वर्ष में सम्पुष्टि-दस्तावेजों का आदान-प्रदान हुआ हो उसके अगले परवर्ती कैलेण्डर वर्ष में जनवरी के पहले दिन को अथवा उसके बाद प्रारम्भ होने वाले कराधान वर्षों के लिये अग्य कनेडियन कर के सम्बन्ध में;

(ख) भारत में, जिस कैलेण्डर वर्ष में सम्पुष्टि दस्तावेजों का आदान-प्रदान होता है उसके अगले परवर्ती कैलेण्डर वर्ष में प्रारंभ के पहले दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिये निर्धारण-योग्य धाय के सम्बन्ध में लागू होंगे।

3. पैराग्राफ 2 के उपबन्धों के अन्वये, अनुच्छेद 9 के उपबन्ध, सम्पत्ति अधिनियमों के धारा 1-प्रधान के विषय में 8 वर्ष पहले के विषय अन्वय; उसके बाद शुरू होने वाले कराधान वर्षों के लिये लागू रहेंगे।

अनुच्छेद 30

सम्पत्ति

यह करार अनिश्चित काल तक लागू रहेगा, परन्तु संविदाकारी राज्यों में से कोई भी राज्य उसके लागू होने के वर्ष से पांच वर्षों की समाप्ति के बाद किसी कैलेण्डर वर्ष में 30 जून को या उससे पहले दूसरे संविदाकारी राज्य को समाप्ति का नोटिस दे सकता है और ऐसी स्थिति में यह करार :

(क) कनाडा में :

(1) जिस कैलेण्डर वर्ष में नोटिस दिया जाता है उसके अगले परवर्ती कैलेण्डर वर्ष में जनवरी के पहले दिन को अथवा उसके बाद अनिश्चित वर्षों को अथवा उनमें से किसी एक वर्ष को समाप्त करने के लिये अन्वय करने के सम्बन्ध में; और

(2) जिस कैलेण्डर वर्ष में नोटिस दिया जाता है उसके अगले परवर्ती कैलेण्डर वर्ष में जनवरी के पहले दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले कराधान वर्षों के लिये अन्वय करने के सम्बन्ध में;

(ख) भारत में, जिस कैलेण्डर वर्ष में नोटिस दिया जाता है, उसके अगले परवर्ती कैलेण्डर वर्ष में अप्रैल के पहले दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले कराधान वर्षों के लिये अनिश्चित वर्षों के लिये निर्धारण योग्य अन्वय के सम्बन्ध में, निष्पत्ती हो जायगा।

विषयके साक्ष्य में, इसके लिये विधिवत् प्राधिकृत प्रोचोहस्तारियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किये हैं।

नई दिल्ली में 30 अक्टूबर, 1985 को अंग्रेजी, फ्रेंच तथा हिन्दी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में किया गया, इसका प्रत्येक पाठ समाप्तः प्रामाणिक है।

भारत सरकार की ओर से

(एम. एस. नारायणन्)

अपर सचिव

कनाडा सरकार की ओर से

(विलियम टी. वार्डन)

उच्चायुक्त

प्रोतोकोल

आय पर करों के सम्बन्ध में घोड़े कराधान के परिहार और राजस्व अपवर्जन को रोकने के लिए कनाडा और भारत के बीच करार पर हस्ताक्षर करते समय, प्रोचोहस्तारियों निम्नलिखित उपबन्धों पर सहमत हो गए हैं जो इस करार के अभिन्न अंग होंगे।

1. अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 1 के अन्वये में यह समझा जाता है कि यह अन्वय सम्पत्ति के अन्वय से प्राप्त लाभों पर भी लागू होता है।

2. अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 4 के अन्वये में यह समझा जाता है कि स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी को (वास्तविक व्यवस्था की प्रतिपूर्ति से भिन्न रूप में), पेटेंटों, जानकारी अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले रायल्टियों, फीस अथवा अन्य ऐसी ही अदायगियों के रूप में, अथवा की गई विशिष्ट सेवाओं अथवा प्रबन्ध-व्यवस्था के लिये कमीशन अथवा प्रभारों के रूप में अथवा स्थायी संस्थापन को उधार दिये गये धन पर ब्याज के रूप में यदि कोई रकमें अदा की गई हों, तो उनके सम्बन्ध में किसी घटौती की स्वीकृति नहीं दी जायगी। इसी प्रकार स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण में

एक रकमों को हिसाब में नहीं लिया जायगा, जो स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय को या उसके अन्य कार्यालयों में से किसी को वास्तविक व्यवस्था की प्रतिपूर्ति से भिन्न रूप में), स्थायी संस्थापन द्वारा पेटेंटों, जानकारी अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले में रायल्टियों, फीस अथवा अन्य ऐसी ही अदायगियों के रूप में अथवा की गई विशिष्ट सेवाओं के लिए अथवा प्रबन्ध-व्यवस्था के लिये कमीशन अथवा अन्य प्रभारों के रूप में अथवा उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा उनके किन्हीं अन्य कार्यालयों में से किसी को उधार दिये गए धन पर ब्याज के रूप में उद्यम के प्रधान कार्यालय या उसके अन्य कार्यालयों में से किसी को प्रभारित की गई हों।

3. अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 2(क) के अन्वये में, यह समझा जाता है कि भारत के मामले में, उसमें दी गई सीमा केवल तभी लागू होगी जब कनाडा के कर का भगणना करने के प्रयोजन के लिए, कनाडा में निवासी किसी कम्पनी को, उसकी कर लगने योग्य आय की संगणना करने में, भारत में निवासी विदेश से सम्बन्ध किसी कम्पनी के छूट प्राप्त अधिकारों में से उसके द्वारा प्राप्त किये गये किसी लाभों की घटौती करने की छूट दी जाती है।

4. अनुच्छेद 13 के पैरा 2 के अन्वये में, ऐसी स्थिति में किसी ऐसे राज्य के साथ, जो इस करार के हस्ताक्षर की तारीख के बाद भाषिक सहकारिता तथा विकास संगठन का एक सदस्य है, सम्पन्न हुए किसी करार अथवा किसी अभिसमय के अन्वय में भारत, भारत के निवासी द्वारा उक्त राज्य के निवासी को तकनीकी सेवाओं के लिये अदा की गई रायल्टियों अथवा फीस के कराधान के लिये 30 प्रतिशत से कम दर स्वीकार करेगा, यह समझा जाता है कि ऐसी निम्नतर दर भारत के किसी निवासी द्वारा कनाडा के निवासी को तकनीकी सेवाओं के लिये अदा की गई रायल्टियों तथा फीस के कराधान के ऐसे मामलों में स्वतः लागू होगी जहाँ तकनीकी सेवाओं के लिये रायल्टियाँ अथवा फीस, पहले मंजूर किये गये अधिकार अथवा सम्पत्ति के सम्बन्ध में अदा की जाती हैं अथवा किसी संविदा के अन्तर्गत, जिन पर प्रयोज्य करार अथवा अभिसमय के लागू होने की तारीख के बाद हस्ताक्षर हुए हों।

5. अनुच्छेद 14 के अन्वये में यह समझा जाता है कि "अन्वय" शब्द में भारतीय कराधान कानूनों के अन्वये में "हस्ताक्षरण" शामिल है।

6. अनुच्छेद 26 के अन्वये में यह समझा जाता है कि "सूचना" शब्द में दस्तावेज शामिल है।

7. उक्त करार के अन्वये में यह समझा गया है और इस बारे में यह सहमत हुई है कि उसमें उल्लिखित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि कनेडियन आयकर अधिनियम की धारा 91 (विदेशों से प्राप्त सम्पत्ति सम्बन्धी आय) के अनुसार कनाडा के निवासी की आय में शामिल रकम पर कर लगाने के सम्बन्ध में कनाडा पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिये विधिवत् प्राधिकृत प्रोचोहस्तारियों ने इस प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किये हैं।

नई दिल्ली में 30 अक्टूबर, 1985 को अंग्रेजी, फ्रेंच तथा हिन्दी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में किया गया, इसका प्रत्येक पाठ समाप्तः प्रामाणिक है।

भारत सरकार की ओर से

(एम. एस. नारायणन्)

अपर सचिव

कनाडा सरकार की ओर से

(विलियम टी. वार्डन)

उच्चायुक्त

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 25th September, 1936

NOTIFICATION

INCOME-TAX

NO. 6936

G.S.R. 1108(E).—Whereas the annexed Agreement between the Government of India and the Government of Canada for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income has been ratified and the Instruments of Ratification exchanged at New Delhi on 16-9-1986 as required by Article 29 of the said Agreement ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 24A of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said agreement shall be given effect to in the Union of India.

[F. No. 145/25/70-FTD]
V. U. ERADI, Jt. Secy.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF CANADA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME.

The Government of India and the Government of Canada, Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, Have agreed as follows :

CHAPTER I

SCOPE OF THE AGREEMENT

Article 1

Personnel Scope

This agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed by each Contracting State, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property.

3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are :

- (a) in the case of Canada : the income taxes imposed under the Income Tax Act of Canada (hereinafter referred to as "Canadian tax") ;
- (b) in the case of India :
 - (i) the income-tax including any surcharge thereon imposed under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ,

- (ii) the surtax imposed under the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964) ; (hereinafter referred to as "Indian tax").

4. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes on income which are imposed by either Contracting State after the date of signature of this Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes.

5. At the end of each year, the Contracting States shall notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws which are the subject of this Agreement and furnish copies of relevant enactments and regulations.

CHAPTER II

DEFINITIONS

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. In this Agreement, unless the context otherwise requires :—

- (a) the term "Canada" used in a geographical sense, means the territory of Canada, including any area beyond the territorial seas of Canada which, under the laws of Canada, is an area within which Canada may exercise rights with respect to the seabed and sub-soil and their natural resources ;
- (ii) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it as well as any other maritime zone referred to in the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and other Maritime Zones Act, 1976, (Act No. 80 of 1976), in which India has certain rights and to the extent that these rights can be exercised therein as if such maritime zone is a part of the territory of India ;
- (b) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean, as the context requires, Canada or India ;
- (c) the term "person" shall have the meaning assigned to it in the taxation laws in force in the respective Contracting State, in the case of Canada, it includes a partnership ;
- (d) the term "company" means any body corporate or any other entity which is treated as a company for tax purposes; in French, the term "societe" also means a "corporation" within the meaning of Canadian law;
- (e) the term "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State ;
- (f) the term "competent authority" means :
 - (i) in the case of Canada, the Minister of National Revenue or his authorised representative;

- (ii) in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) ;
- (g) the term "tax" means Canadian tax or Indian tax, as the context requires ;
- (h) the term "national" means :—
 - (i) any individual possessing the nationality of a Contracting State ;
 - (ii) any legal person, partnership and association deriving its status as such from the law in force in a Contracting State ;
 - (i) the term "international traffic" means any voyage of a ship or aircraft operated by a resident of a Contracting State except where the principal purpose of the voyage is to transport passengers or goods between places in the other Contracting State.

2. As regards the application of the Agreement by a Contracting State any term not defined in this Agreement shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State relating to the taxes which are the subject of the Agreement.

Article 4

FISCAL DOMICILE

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who is a resident of that State in accordance with the taxation laws of that State.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his residential status shall be determined in accordance with the following rules :

- (a) he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (hereinafter referred to as his "Centre of vital interests") ;
- (b) if the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode ;
- (c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national ;
- (d) if he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement endeavour to settle the question.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" shall include especially :

- (a) a place of management ;
- (b) a branch ;
- (c) an office ;
- (d) a factory ;
- (e) a workshop ;
- (f) a warehouse ;
- (g) a mine, quarry or other place of extraction of natural resources ;
- (h) a building site or construction or assembly project or supervisory activities in connection therewith, where such site, project or supervisory activity continues for a period of more than three months ;
- (i) premises used as a sales outlet or for receiving or soliciting orders.

3. The term "permanent establishment" shall be deemed not to include :—

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise ;
- (b) the maintenance of stock of goods of merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display ;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise ;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or for collecting information, for the enterprise ;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research, or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise.

4. A person acting in a Contracting State for or on behalf of an enterprise of the other Contracting State—other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies—shall be deemed to be a permanent establishment of that enterprise in the first-mentioned State if :—

- (a) he has and habitually exercise in that State, an authority to conclude contracts for or on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise ; or
- (b) he habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise from which he regularly delivers goods or merchandise for or on behalf of the enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, or merely because it maintains in that other State a stock of goods with an agent of an independent status from which deliveries are made by that agent, where such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he would not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

6. Notwithstanding the provisions of this Article or Article 15, a person who is a resident of a Contracting State and carries on activities in connection with the exploration or exploitation of the sea-bed and sub-soil and their natural resources situated in the other Contracting State shall be deemed to be carrying on in respect of those activities, a business in that other State through a permanent establishment or fixed base situated therein.

For the purposes of this paragraph, activities carried on by an enterprise associated with another enterprise shall be regarded as carried on by the enterprise with which it is associated if the activities in question are substantially the same as those carried on by the last-mentioned enterprise.

7. The provisions of paragraph 6 shall not apply where the activities described therein are carried on for a period not exceeding 30 days in the aggregate in any 12-month period.

8. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

CHAPTER III

TAXATION OF INCOME

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income from immovable property including income from agriculture or forestry may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. For the purpose of this Agreement, the term "immovable property" shall be defined in accordance with the law and usage of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of professional services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on or has carried on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other Contracting State but only so much of them as is attributable to :—

- (a) that permanent establishment, and
- (b) sales of goods and merchandise of the same or similar kind as those sold, or from other business activities of the same or similar kind as those effected, through that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 4, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits, which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment. In any case, where the correct amount of profits attributable to a permanent estab-

lishment is incapable of determination or the ascertainment thereof presents exceptional difficulties, the profits attributable to the permanent establishment may be estimated on a reasonable basis provided that the result shall be in accordance with the principles laid down in this Article.

3. Subject to the provisions of paragraph 4, insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles laid down in this Article.

4. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed those deductible expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses, whether incurred in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere as are in accordance with the provisions of and subject to the limitations of the taxation laws of that State.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then, the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

ARTICLE 8

AIR TRANSPORT

1. Profits derived from the operation of aircraft in international traffic by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State.

2. Paragraph 1 shall likewise apply in respect of participation in a pool, a joint business or in an international operating agency.

3. For the purposes of paragraph 1, interest on funds connected with the operation of aircraft in international traffic shall be regarded as profits from the operation of such aircraft, and the provisions of Article 12 shall not apply in relation to such interest.

ARTICLE 9

SHIPPING

1. Profits derived from the operation of ships in international traffic by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State.

2. To the extent that they are not covered by Paragraph 1, profits from the operation of ships used to transport passengers or goods between places in a Contracting State may be taxed in that State.

3. Paragraphs 1 and 2 shall likewise apply in respect of participation in a pool, a joint business or in an international operating agency.

4. The provisions of this Article shall not apply to a drilling rig or any vessel the principal function of which is the performance of activities other than the transportation of goods or passengers.

ARTICLE 10

ASSOCIATED ENTERPRISES

Where

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

ARTICLE 11

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed :

- (a) 15 per cent of the gross amount of the dividends if the recipient is a company which owns at least 10 per cent of the shares of the company paying the dividends ; and
- (b) 25 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

3. The provisions of paragraph 2(a) would apply in respect of dividends arising out of investments made after the date of signature of this Agreement.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not affect the taxation of the company on the profits out of which the dividends are paid.

5. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income assimilated to income from shares by the taxation law of the State of which the company making the distribution is a resident.

6. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State professional services from a fixed base situated therein, and the holding by virtue of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

7. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

ARTICLE 12

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the law of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount thereof.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned State if :

- (a) the payer of the interest is the Government of that Contracting State or of a political sub-division or local authority thereof; or
- (b) the interest is paid to any agency or instrumentality (including a financial institution) which may be agreed upon in letters exchanged between the competent authorities of the two Contracting States.

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage, and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits and in particular, income from Government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures, as well as income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises. However, the term "interest" does not include income dealt with in Article 11.

5. The provisions of paragraph 2 shall not apply if the recipient of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State professional services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and that interest is borne by that permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the interest paid, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

ARTICLE 13

ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL SERVICES

1. Royalties and fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties and fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the law of that State, provided that where the royalties or fees for technical services are paid in respect of a right or property which is first granted, or under a contract which is signed after the date of signature of this Agreement, the tax so charged shall not exceed 30 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services.

3. The term "royalties" as used in this Article means payment of any kind including rentals received as a consideration for the use of, or the right to use,

- (a) any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process,
- (b) industrial, commercial or scientific equipment, or information concerning industrial, commercial or scientific experience;

- (c) any copyright of literary, artistic or scientific work, cinematographic films, and films or tapes for radio or television broadcasting;

but does not include royalties or other amounts paid in respect of the operation of mines or quarries or of the extraction or removal of natural resources.

4. The term "fees for technical services" as used in this Article means payments of kind to any person, other than payments to an employee of the person making the payments and to any individual for independent personal services mentioned in Article 15, in consideration for services of a managerial, technical or consultancy nature, including the provision of services of technical or other personnel.

5. The provisions of paragraph 2 shall not apply if the recipient of the royalties or fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or the fees for technical services arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State professional services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties or fees for technical services are paid in effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

6. Royalties and fees for technical services shall be deemed to arise in Contracting State when the payer is that State itself a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or the fees for technical services, whether he is a resident of Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or fixed base in connection with which the obligation to pay the royalties or fees for technical services was incurred, and those royalties or fees for technical services are borne by that permanent establishment or fixed base, then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, owing to a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties or fees for technical services paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 14

CAPITAL GAINS

1. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State and movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.

2. Gains from the alienation of any property other than these referred to in paragraph 1 may be taxed in both Contracting States.

Article 15

PROFESSIONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State. However, in the following circumstances such income may be taxed in the other Contracting State, that is to say :

- (a) if he has or had a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State; or
- (b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year; or
- (c) if the remuneration for his services in the other Contracting State is either derived from residents of that Contracting State or is borne by a permanent establishment which a person not resident in that Contracting State has in that State and such remuneration exceeds two thousand five hundred Canadian dollars (\$2,500) or its equivalent in Indian currency in the fiscal year.

2. The term "professional services" includes independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 16

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 17, 19 and 20, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if :

- (a) the recipient is present in the other Contracting State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year concerned;

- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration in respect of an employment exercised abroad a ship or aircraft operated in international traffic by the enterprise of a Contracting State, shall be taxable only in that State.

Article 17

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or a similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State, may be taxed in that other State.

Article 18

ARTISTES AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions of Articles 7, 15 and 16, income derived by entertainers, such as theatre, motion picture, radio or television artistes, and musicians, and by athletes, from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which these activities are exercised.

2. Where income in respect of personal activities as such exercised in a Contracting State by an entertainer or athlete accrues not to that entertainer or athlete himself but to another person which provides the activities in that State, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 15 and 16, be taxed in that Contracting State.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the visit to a Contracting State of the entertainer or the athlete is directly or indirectly supported, wholly or substantially, from the public funds of the other Contracting State, including any political subdivision, local authority or statutory body of that other State.

Article 19

PENSIONS

1. Pensions arising in a Contracting State shall be taxable only in that State.

2. Pensions shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State.

Article 20

GOVERNMENT SERVICE

1. Remuneration, other than a pension, paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or local authority thereof in the discharge of functions of a governmental nature may be taxed in that State.

2. The provisions of Articles 16 and 17 shall apply to remuneration in respect of services rendered in connection with any trade or business carried on by one of the Contracting States or a political subdivision or a local authority thereof.

Article 21

STUDENTS AND APPRENTICES

1. Payments which a student, apprentice or business trainee who is, or was immediately before visiting one of the Contracting States, a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that first-mentioned State, provided that such payments are made to him from sources outside that State.

2. Students, apprentices or business trainees who are nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which students, apprentices or business trainees who are nationals of that other State in the same circumstances, are or may be subjected.

Article 22

OTHER INCOME

Items of income of a resident of Contracting State, arising in the other Contracting State, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement, may be taxed in both Contracting States.

CHAPTER IV

METHODS FOR PREVENTION OF DOUBLE TAXATION

Article 23

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. The laws in force in either of the Contracting States will continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where provisions to the contrary are made in this Agreement.

2. In the case of Canada, double taxation shall be avoided as follows :

- (a) Subject to the existing provisions of the law of Canada regarding the deduction from tax payable in Canada of tax paid in a territory outside Canada and to any subsequent modification of those provisions—which shall not affect the general principle hereof—and unless a greater deduction or relief is provided under the laws of Canada, tax payable in India on profits, income or gains arising in India shall be deducted from any Canadian tax payable in respect of such profits, income or gains ;
- (b) Subject to the existing provisions of the law of Canada regarding the determination of the exempt surplus of a foreign affiliate and to any subsequent modification of those provisions—which shall not affect the general principle hereof—for the purpose of computing Canadian tax, a company resident in Canada shall be allowed to deduct in computing its taxable income any dividend received by it out of the exempt surplus of a foreign affiliate resident in India.

3. In the case of India, double taxation shall be avoided as follows :

- (a) The amount of Canadian tax payable, under the laws of Canada and in accordance with the provisions of this Agreement, whether directly or by deduction, by a resident of India, in respect of income from sources within Canada which has been subjected to tax both in India and Canada shall be allowed as a credit against the Indian tax payable in respect of such income but in an amount not exceeding that proportion of Indian tax which such income bears to the entire income chargeable to Indian tax.
- (b) For the purposes of the credit referred to in subparagraph (a) above, where the resident of India is a company by which surtax is payable, the credit to be allowed against Indian tax shall be allowed in the first instance against the income-tax payable by the company in India and, as to the balance, if any, against the surtax payable by it in India.

Provided that income which in accordance with the provisions of this Agreement is not to be subjected to tax may be taken into account in calculating the rate of tax to be imposed.

4. For the purposes of paragraph 2(a), the term "tax payable in India" shall, with respect to a resident of Canada, other than an individual, be deemed to include any amount which would have been payable as Indian tax but for a deduction allowed in computing the taxable income or an exemption or reduction of tax granted for that year under :

- (a) sections 10 (15) (iv), 32A, 80J and 80HH of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), so far as they were in force on and have not been modified since the date of signature of this Agreement, or have been modified only in minor respects so as not to affect their general character ; or
- (b) any other provision which may subsequently be made granting an exemption or reduction from tax which is agreed by the competent authorities of the Contracting States to be of a substantially similar character, if it has not been modified thereafter or has been modified only in minor respects so as not to affect its general character.

Provided that relief from Canadian tax shall not be given by virtue of this paragraph in respect of income from a source in India if the income relates to a period ending on or after an usual year after the exemption from, or reduction of, Indian tax is first granted to the resident of Canada in respect of that source.

5. For the purposes of this Article, profits, income or gains of a resident of a Contracting State which are taxed in the other Contracting State in accordance with this Agreement shall be deemed to arise from sources in that other State.

CHAPTER V

SPECIAL PROVISIONS

Article 24

NON-DISCRIMINATION

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

3. Nothing in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

4. Nothing in this Article shall be construed as preventing :

- (a) Canada from imposing on the earnings of a company attributable to a permanent establishment in Canada, its Additional Tax on Corporations other than Canadian Corporations ;

- (b) India from taxing at the rate determined by Indian law the income attributable to a permanent establishment maintained in India by a company which is a resident of Canada.

5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of a third State, are or may be subjected.

6. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Agreement.

Article 25

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case in writing to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. The case must be presented within two years from the first notification of the action which gives rise to taxation not in accordance with the Agreement.

2. The competent authority referred to in paragraph 1 shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Agreement.

3. A Contracting State shall not, after the expiry of the time limits provided in its national laws and, in any case, after five years from the end of the fiscal year in which the income concerned has accrued, increase the tax base of a resident of either of the Contracting States by including therein items of income which have also been charged to tax in the other Contracting State. This paragraph shall not apply in the case of fraud, wilful default or neglect.

4. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement.

5. The competent authorities of the Contracting States may consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

Article 26

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for the carrying out of this Agreement, or of the domestic laws of the Contracting States (including the provisions thereof dealing with the prevention of fiscal evasion) concerning taxes covered by this agreement insofar as the taxation thereunder is not contrary to this agreement. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes which are the subject of the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. These persons or authorities may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on one of the Contracting States the obligation:

- to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State;
- to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

Article 27

DIPLOMATIC AND CONSULAR OFFICIALS

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic or consular missions under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28

MISCELLANEOUS RULES

1. The provisions of this Agreement shall not be construed to restrict in any manner any exclusion, exemption, deduction, credit, or other allowance now or hereafter accorded by the laws of one of the Contracting States in the determination of the tax imposed by that Contracting State.

2. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of applying this Agreement.

CHAPTER VI

FINAL PROVISIONS

Article 29

ENTRY INTO FORCE

1. This Agreement shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at ... Ottawa

2. The Agreement shall enter into force upon the exchange of instruments of ratification and its provisions shall have effect :

(a) in Canada :

(i) in respect of tax withheld at the source on amounts paid or credited to non-residents on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the exchange of instruments of ratification takes place ; and

(ii) in respect of other Canadian tax for taxation years beginning on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the exchange of instruments of ratification takes place ;

(b) in India, in respect of income assessable for any assessment year commencing on or after the first day of April in the calendar year next following that in which the exchange of instruments of ratification takes place.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, the provisions of Article 9 shall have effect for taxation years beginning on or after the day which is six years prior to the day of the exchange of instruments of ratification.

Article 30

TERMINATION

This Agreement shall continue in effect indefinitely but either Contracting State may, on or before June 30 in any calendar year after the expiry of five years from the year in which it enters into force, give notice of termination to the other Contracting State and in such event the Agreement shall cease to have effect :

(a) in Canada :

(i) in respect of tax withheld at the source on amounts paid or credited to non-residents on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the notice is given ; and

(ii) in respect of other Canadian tax for taxation years beginning on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the notice is given ;

(b) in India, in respect of income assessable for any assessment year commencing on or after the first day of April in the calendar year next following that in which the notice is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized to that effect, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at NEW DELHI, this 30th day of October One thousand nine hundred and eightyfive in the Hindi, English and French languages, each version being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF INDIA :

(M. S. NARAYANAN)

Additional Secretary

FOR THE GOVERNMENT OF CANADA :

(WILLIAM T. WARDEN)

High Commissioner

PROTOCOL

At the signing of the Agreement between Canada and India for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, the undersigned have agreed upon the following provisions which shall be an integral part of the Agreement :

1. With reference to paragraph 1 of Article 6, it is understood that it also applies to profits derived from the alienation of immovable property.

2. With reference to paragraph 1 of Article 7, it is understood that no deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents, know-how or other rights, or by way of commission or other charges, for specific services performed or for management, by way of interest on money lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment for amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents, know-how or other rights, or by way of commission or other charges, for specific services performed or for management, by way of interest on money lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.

3. With reference to paragraph 2(a) of Article 11, it is understood that, in the case of India, the limitation provided therein shall apply only as long as for the purpose of computing Canadian tax a company which is a resident of Canada is allowed to deduct in computing its taxable income any dividend received by it out of the exempt surplus of a foreign affiliate resident in India.

4. With reference to paragraph 2 of Article 13, in the event that pursuant to an Agreement or a Convention concluded with a State which is a member of the organisation for Economic Co-operation and Development after the date of signature of this Agreement India would accept a rate lower than 30 per cent for the taxation of royalties or fees for technical services paid by a resident of India to a resident of that State, it is understood that such lower rate will automatically be applied for the taxation of royalties and fees for technical services paid by a resident of India to a resident of Canada where the royalties or fees for technical services are paid in respect of a right or property which is first granted, or under a contract which is signed after the date of entry into force of the first-mentioned Agreement or Convention.
5. With reference to Article 14, it is understood that the term "alienation" includes a "transfer" within the meaning of Indian taxation laws.
6. With reference to Article 26, it is understood that the term "information" includes documents.

7. With reference to the said Agreement, it is understood and agreed that nothing therein stated shall be construed as preventing Canada from imposing a tax on amounts included in the income of a resident of Canada according to section 91 (Foreign Accrual Property Income) of the Canadian Income Tax Act.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised to that effect, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at NEW DELHI, this 30th day of October One thousand nine hundred and eightyfive in the Hindi, English and French languages, each version being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF INDIA :
(M. S. NARAYANAN)
Additional Secretary.

FOR THE GOVERNMENT OF CANADA
(WILLIAM T. WARDEN)
High Commissioner

